

(सहायक अभियन्ता) (अधिराशी अभियन्ता)

अवधि १५ दिवस
१५/३/२०१६

शुद्ध मानवित्व उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 को धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रतिबंध सहित जवाबदाई स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि अधिनियम स्वामित्व के लिए विधिपूर्ण मान्य नहीं है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय
वाराणसी
प्राधिकृत
प्रतिलिपि
दिनांक 28.10.2005
पृष्ठ संख्या 2810
पृष्ठ संख्या 2810

29 Bank Street, Mumbai 400 023. Tel: 2266 1920

TYPE-A
FRONT ELEVATION